न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 21/2018 ::

अपीलांटगण :-

उषाकंवर पुत्री तखतसिंह धर्मपत्नी महेन्द्रसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुड़ा बिच्छु, तहसील एवं जिला पाली हाल निवासी 119 ई, इन्द्रा कॉलोनी, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :-

1. मूलसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुडा बिच्छु, तहसील व जिला पाली (राज.)
2. मृतक पारससिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुडा बिच्छु तहसील पाली के का.मु.

2/1. मृतक सवाईसिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम गुडा बिच्छु, तहसील पाली के का.मु.

2/1/1. सुन्दर जोजे सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुडा बिच्छु, तहसील व जिला पाली (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री मदनदास वैष्णव
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री मनीष राजपुरोहित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 14/1/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 293 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1989 जो तहसीलदार पाली द्वारा मौजा गुन्दोज चक II के खसरा नम्बर 1878 रकबा 60 बीघा 02 बिस्वा निस्बत् खिलाफ कानून बहक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के सादिर किया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा अपीलार्धीन नामान्तरकरण तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया कि ग्राम गून्दोज चक II तहसील पाली के खसरा नम्बर 1878 रकबा 60 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी दोयम के जमाबन्दी संवत् 2044-47 में दर्ज अनुसार मूलसिंह पुत्र सवाईसिंह, पारससिंह पुत्र सवाईसिंह तथा तखतसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम रावणा राजपूत साकिन गुड़ा बिच्छु बहिस्सा बराबर शामलाती खातेदार दर्ज थे अर्थात् तीनों का 1/3-1/3 हिस्सा आता था। जिसमें से एक खातेदार तखतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत जो अपीलाण्ट उषा कंवर का पिता था। जिसकी मृत्यु उपरान्त पटवार हल्का गून्दोज चक II द्वारा नामान्तरकरण संख्या 293 भरा गया एवं बाद जांच तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 27.05.1989 को स्वीकृत किया गया है। जो विधी विरूद्ध भरा जाने से निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 293 के कॉलम संख्या 14 में अंकित किया गया है कि "तखतसिंह फौत उसके जायंदा पुत्र व पत्नी नहीं होने से उसके सगे भाईयों के हक में नामान्तरकरण भरा गया।" अपीलाण्ट के पिता तखतसिंह के

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

में वर्णित स्कूल में निर्धारित समय में उषाकंवर पढ़ती थी, वह तखतसिंह की पुत्री ही है। वह कोई अन्य उषाकंवर होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा अपील में वर्णित खातेदार तखतसिंह की पुत्री नहीं है तो उसके अपील में वर्णित भूमि के अधिकार प्राप्त करने का हक नहीं है तथा नामान्तरकरण 27.05.1981 को भरा जाना बताया तथा अपीलाण्ट की जन्मतिथी 1982 का होना उल्लेख करते हुए अपने पिता की मृत्यु के सात माह प्श्चात जन्म होने को सही नहीं होना इंगित किया है क्योंकि तखतसिंह के मृत्यु से 2–3 वर्षो पूर्व बीमार होना उल्लेखित किया है, जो चल फिर नहीं सकता, ऐसे में अपीलाण्ट के तथ्य सत्य नहीं होना जाहिर किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत तखतसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र सन् 2017 में तैयार किया हुआ एवं उनकी मृत्यु 04.06.1981 को होना बताया है, जिसे प्रश्नांकित करते हुए कूटरचित होने का उल्लेख किया। अपीलाण्ट द्वारा अपने आप को तखतसिंह की पुत्री होने बाबत पर्याप्त साक्ष्य दस्तावेज अपील के साथ पेश नहीं किए जाने का कथन किया है तथा उसकी माता की स्थिति के बारे में तथ्य जानबुझ कर सामने नहीं लाने का भी उल्लेख किया है, न ही उसकी माता को पक्षकार बनाया है। इस कारण भी अपील अपीलाण्ट खारिज कराने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा उल्लेखित किया गया कि अपीलाण्ट नामान्तरकरण स्वीकृति से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपील करने बाबत इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिस कारण भी अपील खारिज योग्य है।

वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने लिखित बहस के साथ न्यायिक दृष्टांत RRD 1993 page 44 and 232, RRD 1990 page 689, RRT part 2- 2011 page 1068, DNJ 2015 page 20 and RRT 2012 page 374 भी प्रस्तुत किए गए।

अधिवक्ता अपीलाण्ट के वक्त बहस किए गए कथनों को ध्यान पूर्वक सुना जाकर मनन किया गया एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजों एंव मूल रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार अपीलाण्ट तखतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सुभाष नगर (गुड़ा बिच्छु) की पुत्री है, जिसकी जन्म दिनांक 20.01.1982 है तथा जैर अपील नामान्तरकरण 27.05.1989 को स्वीकृत किया गया है। जिस समय अपीलाण्ट मात्र सात वर्ष की नाबालिग व अनभिज्ञ थी। उसका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किए जाने से अपीलाण्ट उसके हक अधिकारों से वंचित हो गई, जबकि नामान्तरकरण प्रक्रिया में मृतक के विधिक वारिशानों की जांच कर उनके नाम का इन्द्राज बतौर उत्तराधिकारीयों के किया जाने का आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील नामान्तरकरण में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए ऐसा नामान्तरकरण Ab initio void and Nonest होने से म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता, जिससे अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

प्रस्तुत अपील में जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 1876 रकबा 60 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व बारानी दोयम ग्राम गून्दोज चक II तहसील पाली की नकल जमाबंदी संवत् 2044–2047 में तीन खातेदार मूलसिंह पुत्र सवाईसिंह, पारससिंह पुत्र सवाईसिंह व तखतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गुड़ा बिच्छु खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज थे। पत्रावली में प्रस्तुत तखतसिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र अनुसार उसकी मौत दिनांक 04.08.1981 को हुई तथा उसकी मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 293 ग्राम गून्दोज पटवार हल्का गून्दोज चक II तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 27.

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

05.1989 स्वीकृत को किया गया। जिसके कॉलम संख्या 14 में इन्द्राज है कि " सवाईसिंह फौत उसके जायन्दा पुत्र व पत्नी नहीं होने से उसके सगे भाईयों के हक में म्यूटेशन भरा गया।" जबकि अपीलाण्ट उसकी जाईन्दा पुत्री उषाकंवर थी, जो कि प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सुभाष नगर द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र की फोटोप्रति से स्पष्ट है। सुभाष नगर गुड़ा बिच्छु का ही दूसरा नाम है। इससे जाहिर है कि तहसीलदार पाली एवं हल्का पटवारी गून्दोज चक II द्वारा तखतसिंह के फौत होने के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण सादिर करते समय उसके विधिक वारिशान की जांच नहीं की गई। नामान्तरकरण में उसके जायन्दा पुत्र एवं पत्नी नहीं होने का उल्लेख तो किया गया लेकिन उसके पुत्री के संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। जो विधी सम्मत नहीं होने से नामान्तरकरण खारिज योग्य है। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में पुत्री नहीं होने बाबत उल्लेखित तथ्य के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर संदेह मात्र जाहिर किया, मात्र संदेह को आधार मानकर अपील खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है, न ही न्यायालय द्वारा इसे फर्जी करार दिया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य तथ्य भी साक्ष्य विहीन है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट उषाकंवर स्व. तखतसिंह की पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस होने से भूमि नामान्तरकरण करते समय उसका नाम मनमाने ढ़ंग से छोड़ दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से नामान्तरकरण विधीसम्मत नहीं माना जा सकता, जो खारिज योग्य है।

वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त स्वत्व तथा अधिकार के विनिश्चय के संबंधित है तथा नामान्तरकरण स्वत्व का सबूत नहीं होकर सरसरी प्रविष्टियां है। इसलिए इस नामान्तरकरण अपील पर चस्पा नहीं होते है। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील के लिमिटेशन तथा राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 135, 84 व 75 के संबंधित प्रस्तुत दृष्टांत इस अपील में पूर्णतः चस्पा होते है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत मौजा गुन्दोज चक II के खसरा नम्बर 1878 रकबा 60 बीघा 02 बिस्वा से संबंधित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 27.05.1989 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पाली को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. तखतसिंह के उत्तराधिकारियों की बाद जांच एवं सुनवाई के विधिसम्मत तरीके से उसके विधिक वारिशानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही करें। तहसीलदार पाली को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 293 पालनार्थ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
14/1/19

जायन्दा पुत्र नहीं था पर अपीलाण्ट उषाकंवर उसकी एक मात्र जीवित संतान थी। जिसका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। उक्त नामान्तरकरण पारित करते वक्त तखतसिंह के विधिक वारिशान की जांच नहीं की गई, न खातेदारों के बयान आदि लिए गए, इस प्रकार अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी में से अपीलाण्ट का नाम बिना किसी सक्ष्म आदेश अथवा दस्तावेज के इन्द्राज नहीं कर अपीलाण्ट को उसके पिता की खातेदारी भूमि के हक अधिकरों से वंचित कर दिया जाने से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट खातेदार स्व. तखतसिंह की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी एक मात्र जायन्दा संतान होने के बावपूद भी उसके नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज न कर नामान्तरकरण स्व. तखतसिंह के भाईयों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मूलसिंह व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 स्व. पारससिंह के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। जो पारससिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिशान रेस्पो. संख्या 2/1 सवाईसिंह व 2/1/1 सुन्दर के नाम दर्ज हुए बाद में सवाई की भी मृत्यु हो गई । इस प्रकार जैर अपील नामान्तरकरण प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के जीवित रहते हुए द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के नाम स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों से वंचित हो गई, इस प्रकार स्वीकृत नामान्तरकरण Ab initio void and Nonest होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलाण्ट ने तखत सिंह की जायन्दा पुत्री होने बाबत पत्रावली के संलग्न प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्रा. संस्कृत विद्यालय सुभाष नगर (गुड़ा बिच्छु) में उक्त विद्यालय में दिनांक 25.03.1989 को कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने एवं 01.07.1992 में पंचमी उतीर्ण कर दिनांक 05.07.1993 को विद्यालय से टी.सी. प्रदान किए जाने एवं अपीलाण्ट की जन्म दिनांक 20.01.1982 होने बाबत प्रमाण पत्र की फोटो प्रति का भी कथन वक्त बहस करते हुए नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया वकील प्रार्थी द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हवाला देते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट नामान्तरकरण स्वीकृत किया तब मात्र सात वर्ष की ही नाबालिग थी, इसलिए इसकी जानकारी ही नहीं।

जब अपीलाण्ट दिनांक 19.04.2018 को अपने पति के साथ जैर अपील भूमि पर काश्त हेतु सूड़ सफाई व देखभाल करने गई तो रेस्पोडेण्ट सुन्दर जोजे सवाईसिंह ने आईन्दा जैर अपील भूमि पर काश्त नहीं करने की हिदायत दी कि उक्त आराजी उनके खातेदारी की है। तखतसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके नाम की रेकर्ड में दर्ज है, तब अपीलाण्ट को प्रथम बार पता चला तो वह हल्का पटवारी के पास गई एवं जानकारी प्राप्त कर नकलें आदि लेकर वकील के पास गई तथा यह अपील दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत कर दी गई। अपील में अपीलाण्ट के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर गुणावगुण पर बाद विवेचन जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्को की ताईद में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं अनुसूची प्रथम की फोटो प्रति तथा अपील के समर्थन में RRD Feb 2002 page 65, RRT 2013(2) page 1284 तथा लिमीटेशन के समर्थन में RRD 1989 page 45, RRD 1992 page 21 AND RRD 1992 page 17 के दृष्टांत प्रस्तुत किए।

वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने उल्लेख किया कि उषाकंवर तखतसिंह की पुत्री नहीं है। अपीलाण्ट उषाकंवर ने अपील में कहीं भी तखतसिंह की पुत्री होने बाबत साबित नहीं किया है। इस हेतुक अधिकतम दस्तावेज एक स्कूल का प्रमाण पत्र ही पेश किया है, जो एक फोटोप्रति है, मूल रिकार्ड नहीं है तथा संदेह से परे साबित नहीं है कि प्रमाण पत्र

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)